

आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0-90/2021

नसीर अहमद.....अपीलकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्यविपक्षीगण

04.10.2023

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति अपील/पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No.1336/2021 में दिनांक 03.11.2021 को पारित आदेश के अख्तिर्काम्यइस स्तर पर दायर किया गया है:-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रारित आदेश का मुख्य अंश निम्नलिखित है:-

"....Accordingly, the present writ petition stands disposed of as not pressed, however, with liberty to the petitioner to file appropriate appeal/revision petition before the learned Divisional Commissioner, Saran at Chapra and in case such an appeal/revisic petition is filed within a period of four weeks from today, the same shall be decided on merits and disposed of by a reasoned and a speaking order, in accordance with law, within a period of eight weeks thereafter."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि जिला गोपालगंज, सदर अनुमंडल, गोपालगंज एवं हथुआ के अन्तर्गत इकत जब वितरण प्रणाली के चयन हेतु हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में दिनांक 07.12.2018 को पी0आर0 नं0-12644/समाहरणालय 2018-19 द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। उक्त विज्ञापन के आलोक में अपीलकर्ता नसीर अहमद, पिता-मोख्तार अहमद एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्रखंड-बरौली के रोस्टर बिन्डु 714 के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए। इस क्रम में दिनांक 31.08.2020 को सार्वजनिक जब वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के चयन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) की बैठक में विपक्षी सं0-07, कृष्ण कुमार प्रसाद, पिता-हुलास महतो, ग्राम-सरैया पाहर, पो0-सिध्वलिया, जिला-गोपालगंज के चयन का अनुमोदन किया गया।

उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 1336/2021 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 03.11.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थिति। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रखंड-बरौली, पंचायत-सदौवा, रोस्टर बिन्डु 714 के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों की

अनुज्ञापित हेतु स्वीकृत आवेदन पत्रों की औपबंधिक वरीयता सूची में अपीलकर्ता नसीर अहमद, पिता-मोख्तार अहमद प्रथम स्थान पर रहे हैं। वे मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उर्जांण हैं तथा उनकी कम्प्यूटर योग्यता DCA है। जबकि विपक्षी कृष्ण कुमार प्रसाद को मैट्रिक में मात्र 49.33 प्रतिशत अंक प्राप्त है तथा उनकी कोई कम्प्यूटर योग्यता नहीं है। परंतु अंतिम वरीयता सूची में विपक्षी कृष्ण कुमार प्रसाद का चयन कर किया गया है, जो नियमसंगत नहीं है। उक्त के आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि विपक्षी सं-0-07 के पक्ष में निर्गत पी0डी0एस0 अनुज्ञापित को रद्द किया जाए तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

4. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि उनके द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप कागजात प्रस्तुत किए गए हैं। औपबंधिक मेघा सूची के निर्माण के समय उनके कम्प्यूटर ज्ञान के कॉलम में 'नहीं' अंकित दर्शाया गया था। उन्हें जब इसकी जानकारी हुयी तो उनके द्वारा इस पर आपत्ति देते हुए सभी तथ्यों के वर्णन के साथ कम्प्यूटर शिक्षा के प्रमाण-पत्र के साथ एक आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज को दिया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में प्रावधान है कि स्वयं सहायता समूह को उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। चौंके विपक्षी कृष्ण कुमार प्रसाद 'उज्जवल स्वयं सहायता समूह' के सदस्य रहे हैं जिसके कारण अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की जाँच-पइताल के पश्चात अंतिम वरीयता सूची तैयार की गई। जिसमें विपक्षी के प्रथम स्थान पर रहने के आधार पर उनका चयन किया गया है।

उक्त के आधार पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पारित आदेश यथोचित है, जिसे यथावत रखा जाए।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया जिला गोपालगंज, प्रखंड-बरौली, पंचायत-सदौवा के रोस्टर बिन्दु-7-14 के विलङ्घ प्राप्त आवेदनों के आधार पर औपबंधिक वरीयता सूची तैयार की गयी थी, जिसके अवलोकन में पाया गया है कि:

(i) अपीलकर्ता नसीर अहमद, पिता-मोख्तार अहमद का नाम क्र0 सं-0-01 गर अंकित है। उक्त सूची में अपीलकर्ता का मैट्रिक प्राप्तांक अंकित नहीं है परंतु प्रतिशत के स्थान पर 'प्रथम श्रेणी' अंकित किया गया है।

(ii) विपक्षी सं-0-07, कृष्ण कुमार प्रसाद का नाम क्रम सं-0-07 पर अंकित है। उनके कम्प्यूटर योग्यता कॉलम में 'नहीं' अंकित किया गया है तथा अभियुक्त में 'उज्जवल रवयं सहायता समूह (पुरुष)' के सचिव है' अंकित किया गया है।

उनके द्वारा कहा गया कि प्रकाशित सूची के संबंध में दावा/आपत्ति आवेदनों की मांग की गयी तथा उक्त का निस्तार करते हुए प्रतिवेदन तैयार किया गया है। प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित है कि अपीलकर्ता नसीर अहमद द्वारा मैट्रिक का अंक पत्र संलग्न नहीं किया गया है तथा दावा/आपत्ति

के क्रम में भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। दावा/आपत्ति के क्रम में विपक्षी कृष्ण कुमार प्रसाद द्वारा संबंधित प्रमाण-पत्र, कम्प्यूटर प्रमाण पत्र तथा ‘उज्जवल स्वयं सहायता समूह’ से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में दी गयी है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता नसीर अहमद द्वारा इस स्तर पर प्रस्तुत याचिका में अपने मैट्रिक अंक पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है। उक्त तथ्यों के आधार पर उभय पक्ष की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत है:-

(A) अपीलकर्ता नसीर अहमद को मैट्रिक में कुल प्राप्त अंक-648 अंक (प्रथम श्रेणी), कम्प्यूटर योग्यता-D.C.A., उच्चतर शैक्षणिक योग्यता - स्नातकोत्तर (53.62%) है तथा उनकी जन्म तिथि 01.02.1967 अंकित है।

(B) विपक्षी सं0-07, कृष्ण कुमार प्रसाद को मैट्रिक में कुल 444 अंक (49.33%), कम्प्यूटर योग्यता-A.D.C.A., उच्चतर शैक्षणिक योग्यता-स्नातकोत्तर (56.62%) है। विपक्षी की जन्म तिथि 27.06.1966 तथा अभियुक्त कॉलम में “उज्जवल स्वयं सहायता समूह (पुरुष) के सचिव है” अंकित किया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि चौकि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कांडिका 8(i) में ‘स्वयं सहायता समूह’ को उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान भी है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर ही जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा विपक्षी का चयन किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है।

6. उनके द्वारा आगे बताया गया कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी याचिका में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही दिनांक 31.08.2020 को Annexure-5 के रूप में संलग्न करते हुए प्रखंड-कुचायकोट, रोस्टर बिन्दु 654 के अभ्यर्थी मोहम्मद नसीम अहमद, पिता-मोहम्मद बसीर आलम के मैट्रिक के अंक पत्र को स्वीकृत किए जाने के आधार पर अपने चयन का दावा किया गया है। दिनांक 18.11.2022 को सुनवाई के क्रम में उभय पक्ष के आरोप-प्रत्यारोप एवं अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसोध के आलोक में उनके द्वारा उल्लेखित रोस्टर बिन्दु 654 के अभ्यर्थी नसीम अहमद के विषय में प्रतिवेदन की मांग जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से की गयी थी। इस क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर के पत्रांक 328, दिनांक 06.02.2023 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मोहम्मद नसीम अहमद, पिता-मोहम्मद बसीर आलम प्रखंड-कुचायकोट, पंचायत रामपुर माधो, रोस्टर बिन्दु-654 के पक्ष में की गयी अनुशंसा के आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से अपना दावा कर दिया गया है। जबकि अभिलेख पर उपलब्ध याचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस स्तर पर अपीलकर्ता नसीर अहमद, पिता-मोख्तार अहमद, पंचायत-सदौवा, प्रखंड-बरौली द्वारा रोस्टर बिन्दु 714 पर किए गए चयन के विरुद्ध वाद दायर किया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि उपर्युक्त स्थिति के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय पर विचार किया जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। नई पी0डी0एस0 अनुज्ञाप्ति हेतु जिला-गोपालगंज, प्रखंड-बरौली, पंचायत-सदौवा के रोस्टर बिन्दु 714 पर किया गया चयन, वाद का मुख्य बिन्दु है। उभय पक्ष एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत दलीलों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं:-

(i) अपीलकर्ता, नसीर अहमद, पिता-मोख्तार अहमद एवं विपक्षी कृष्ण कुमार प्रसाद की शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर योग्यता समान है। अपीलकर्ता, नसीर अहमद की जन्मतिथि 01.02.1967 है, जबकि विपक्षी कृष्ण कुमार प्रसाद की जन्म तिथि 27.06.1966 है। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 9(v) के आलोक में कम्प्यूटर ज्ञान एवं योग्यता की समानता होने पर अधिक उम्म वाले को प्राथमिकता दी जानी है।

(ii) अनुमंडल स्तर पर तैयार की गयी अंतिम वरीयता सूची में अनुशंसित विपक्षी कृष्ण कुमार प्रसाद के अभियुक्त कॉलम में 'उज्ज्वल स्वयं सहायता समूह (पुरुष) के सचिव है' अंकित किया गया है।


यहाँ यह स्पष्ट करना है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 8(1) में 'स्वयं सहायता समूह' को प्राथमिकता दिए जाने का उल्लेख किया गया है, न कि स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य अथवा पदाधिकारी को। ऐसे में स्वयं सहायता समूह की सदस्यता को चयन का आधार मान लिया जाना व्यायसंगत नहीं है।

(iii) अपीलकर्ता द्वारा रोस्टर बिन्दु 654 के अभ्यर्थी के विषय में अपीलकर्ता के द्वारा किए गए दावे के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर के पत्रांक-328, दिनांक 06.02.2023 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रोस्टर बिन्दु 654 पर अंकित अभ्यर्थी का नाम मोहम्मद नसीम अहमद, पिता-मोहम्मद बसीर आलम, प्रखंड-कुचायकोट, पंचायत-रामपुर माथो है, जो प्रस्तुत मामले में प्रारंगिक नहीं है। याचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद के वादी का नाम नसीर अहमद, पिता-मोख्तार अहमद पंचायत-सदौवा, प्रखंड-बरौली है।


उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरांत उपरोक्त कंडिका (i) के आलोक में यह स्पष्ट है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 9(v) में अंकित अर्हताओं को पूर्ण किए जाने के आधार पर विपक्षी कृष्ण कुमार प्रसाद की अनुशंसा नई पी0डी0एस0 अनुज्ञाप्ति हेतु की गयी है। ऐसे में जिला स्तरीय चयन समिति, गोपालगंज द्वारा पारित आदेश को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार प्रस्तुत आपूर्ति वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।


आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।